भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2881
18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

तटीय जलकृषि फार्म

2881. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तटीय जलकृषि फार्मों को बढ़ावा देने और विस्तार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा आंध्र प्रदेश में तटीय जलकृषि फार्मों के अंतर्गत तटीय भूमि की संख्या और कुल क्षेत्रफल जिलावार कितना है;

(ख) आंध्र प्रदेश में जलकृषि प्रसंस्करण केंद्रों और निर्यात एजेंसियों के बारे में जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तटीय जलकृषि को नियंत्रित करने के लिए विनियम बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने तटीय जलकृषि के लिए पर्यावरण संरक्षण कोष बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने तटीय जलकृषि के सतत और पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए रणनीति तैयार करने में सहायता के लिए तटीय क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के संबंध में निष्कर्ष क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने जलकृषि फार्मों से अपशिष्ट जल के बहिस्त्राव के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार अपशिष्ट जल के शोधन के लिए जलकृषि किसानों को वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने देश में तटीय जल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश के तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देते हुए तटीय पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य से तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम को हाल ही में संशोधित किया गया है और इसे तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के रूप में अधिसूचित किया गया है, ताकि अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को अपराधमुक्त करने सहित व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके और तटीय जल कृषि इकाइयों का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस क्षेत्र ने लाखों नौकरियों, स्वरोजगार के अवसरों, तटीय जलीय किसानों की आय में वृद्धि, जल कृषि में व्यवसायों और उद्यमिता के विकास को उत्प्रेरित किया है, जिसमें एक जीवंत जलकृषि सहायक उद्योग का विकास भी शामिल है। तटीय जलकृषि क्षेत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे कि नीली क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के अंतर्गत भी बढ़ावा दिया गया है, जिसमें ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर (बीएमसी) की स्थापना, अच्छी गुणवत्ता वाले सीड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हैचरी, खारे पानी के तालाबों का निर्माण और इनपुट के लिए सहायता, कोल्ड चेन और मार्केटिंग के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास आदि गतिविधियों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने निजी क्षेत्र में श्रीम्प के लिए चार बीएमसी को भी मंजूरी दी है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) तटीय क्षेत्रों में स्थायी तटीय जलकृषि इकाइयों और गतिविधियों को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करता है। सीएए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 33,270.84 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले कुल 22,744 फार्म हैं, जिनका जल-प्रसार क्षेत्र 23,174.03 हेक्टेयर है। आंध्र प्रदेश में सीएए पंजीकृत तटीय जलकृषि फार्मों का जिलावार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कुछ क्षेत्रों को सतत जलकृषि को बढ़ावा देने और अनधिकृत भूमि रूपांतरण को रोकने के लिए एक्वा ज़ोन के रूप में नामित किया गया है। अब तक राज्य की कुल 4.68 लाख एकड़ जलकृषि भूमि में से 4.22 लाख एकड़ क्षेत्र को एक्वा ज़ोन के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 118 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, जो एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के साथ पंजीकृत हैं। 118 निर्यातोन्मुख प्रोसेसिंग प्लांट्स में से 43 विजयवाड़ा में, 37 भीमावरम में, 18 विशाखापत्तनम में और 20 ऐसे प्लांट्स काकीनाडा में स्थित हैं।

(ग) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005, देश के तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि गतिविधियों को नियंत्रित करता है। उक्त अधिनियम को संशोधित कर तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के रूप में अधिसूचित किया गया। इस संशोधन के अनुरूप, तटीय जलकृषि नियम, 2024 को भी 8 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया है। सतत और पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलकृषि प्रैक्टिसीस को बढ़ावा देने के लिए, और सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 और सीएए नियम, 2024 के अनुसार, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2024 में सात दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें हैचरी, फार्म, सीड उत्पादन, रोग प्रबंधन, एक्वाकल्चर इनपुट के लिए अनुपालन, भारत में न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनबीसी) और ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर (बीएमसी) की स्थापना और संचालन, तटीय जलकृषि इकाइयों या गतिविधियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित तटीय जलकृषि के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

(घ) पर्यावरण संरक्षण निधि के सृजन से संबंधित प्रावधान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मौजूद है। जबकि तटीय जलकृषि के लिए, पर्यावरण को होने वाले नुकसान की लागत का आकलन करने के तरीके और संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए तटीय जलकृषि अधिनियम, 2023 और तटीय जलकृषि नियम, 2024 के अंतर्गत प्रावधान हैं।

(ड़) तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 [नियम 5(iii)] देश के पूरे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और केंद्र और राज्य सरकारों को पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलकृषि विकास हासिल करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने पर सलाह देने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के कार्यों को रेखांकित करता है। मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने सतत जलकृषि को बढ़ावा देने और अनधिकृत भूमि रूपांतरण को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों को एक्वा ज़ोन के रूप में नामित किया है। अब तक राज्य की कुल 4.68 लाख एकड़ जलकृषि भूमि में से 4.22 लाख एकड़ को एक्वा ज़ोन के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(च) जी हाँ, तटीय जलकृषि फार्मों के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 20.03.2024 की अधिसूचना एस.ओ.1496(ई) में तटीय जलकृषि को विनियमित करने के लिए सीएए अधिनियम 2005 की धारा 3 के साथ सीएए नियम 2024 के नियम 3 के खंड (क) के अनुसरण में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस अधिसूचना में, तटीय जलकृषि इकाइयों से अपशिष्ट जल के निस्तारण मानकों सहित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अन्य बातों के अलावा दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे।

(छ) तटीय जलकृषि प्राधिकरण तटीय जलकृषि विनियमन दिशानिर्देशों [एस.ओ.1496 (ई), दिनांक 20.03.2024] में उल्लिखित अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (ईटीएस) को बनाए रखने में किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 10 में अपशिष्ट जल निस्तारण के मानकों को निर्दिष्ट किया गया है, और देश भर में सभी तटीय जलकृषि इकाई संचालकों को इन प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

अनुबंध

तटीय जलकृषि फार्मों के संबंध में 18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2881 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण: आंध्र प्रदेश में तटीय जलकृषि फार्मों का जिलावार पंजीकरण डेटा

क्र.सं.	ज़िला	फार्म्स की संख्या	कुल कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर)	जल फैलाव क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	अनकापल्ली	117	492.85	377.10
2	बापतला	4088	5675.78	4310.85
3	डॉ बी.आर.अम्बेडकर कोनासीमा	4183	5103.03	3527.78
4	गुंटूर	2	1.72	1.42
5	काकीनाडा	1252	1737.49	1260.04
6	कृष्ण	3918	4689.00	3041.11
7	प्रकाशम	1783	3202.52	2431.41
8	एसपीएसआर नेल्लोर	4348	8826.22	5400.13
9	श्रीकाकुलम	876	1042.76	832.84
10	तिरुपति	91	160.32	98.44
11	विशाखापत्तनम	72	229.97	187.30
12	विजयनगरम	18	51.96	39.65
13	पश्चिम गोदावरी	1996	2057.23	1665.97
	कुल योग	**22744**	**33270.84**	**23174.03**